राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत दिवेर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत दिवेर

प्रकरण सं.– 17/2014 प्रा.प्र. निर्णय दिनांक– 01 जुलाई, 2015

1. श्री देवीलाल पिता उदयराम जाति ब्राहमण निवासी दिवेर तहसील भीम

प्रार्थी

बनाम

1. श्री किशनलाल पिता भूरालाल जाति महाजन निवासी दिवेर तहसील भीम
2. श्री बाबूसिंह पिता वजेसिंह जाति महाजन निवासी दिवेर तहसील भीम
3. श्री पन्नासिंह पिता सवाईसिंह जाति महाजन निवासी दिवेर तहसील भीम
4. श्री उदयसिंह पिता सवाईसिंह जाति महाजन निवासी दिवेर तहसील भीम

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी

यह कि अन्य आराजियात के अलावा वाके ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम में मुझ प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की हाल जमाबन्दी खतौनी के अनुसार आराजियात निम्न है:–

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
1962	01	03	00	बारानी 2
कुल किता 01 रकब 1 बीघा 3 विस्वा				

उक्त जमीन पर मेरा कब्जा चला आ रहा है जमीन आज भी मेरे नाम पर चली आ रही है।

उक्त भूमि के पडौस निम्न प्रकार है:–
पूर्व में:– रोड
पश्चिम में :– किशनलाल पिता भूरालाल की जमीन
उत्तर में:– बाबुसिंह पिता वजेसिंह का खेत
दक्षिण :– पन्नासिंह व उदयसिंह पिता सवाईसिंह का खेत।

मौके पर विपक्षी को अपनी जमीन की सीमा चिन्ह की जानकारी न होने की वजह से आये दिन पाली डोली को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है तथा कई बार झगडा भी हो गया है।

अभी दिनांक 10.03.2014 को भी अंतिम बार विपक्षी संख्या 4 जो कि दक्षिण दिशा का पडौसी है के द्वारा झगडा भी किया गया जिस पर मौके पर मैंने गांव के लोगो ने समझाया पूर्व में सीमा चिन्ह की जानकारी भी करवाई उसके बाद भी विपक्षी द्वारा नही मानने से तथा यह कहने से कि तुम ही पत्थरगढी करवा लो। अतः विवश होकर यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। जो कि अन्दर अवधि पेश है।

अतः वादी का वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प दिवेर** में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणो को बाद समझाईश आपसी राजीनामे से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजियात का दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमंद

Scanned by CamScanner